कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर

कार्यालय आदेश

राजस्थान शिक्षा सेवा के प्रधानाचार्य–उमावि, प्रधानाध्यापक–मावि, व्याख्याता–स्कूल शिक्षा(विभिन्न विषय) एव अन्य विभिन्न संवर्ग के कार्मिकों के स्थानान्तरण विभिन्न आदेशों से जारी किये गये है/जारी किये जा रहे है। जारी किये गये आदेश विस्तृत है अतः उक्त के संबंध में संबंधित मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी/नियंत्रण अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि स्थानान्तरित कार्मिक को स्थानान्तरण आदेश के **प्रथम पृष्ठ, कार्मिक के नाम से संबंधित पृष्ठ एवं अंतिम पृष्ठ** के आधार पर संबंधित आदेश में प्रदत्त निर्देशों के परिप्रेक्ष्य में कार्यग्रहण/कार्यमुक्ति किया जाना सुनिश्चित करावें। किसी भी परिस्थिति में आर.पी. एस.सी चयनित प्रधानाध्यापक–मावि/व्याख्याता स्कूल शिक्षा जिनका परिवीक्षाकाल पूर्ण नहीं हुआ हो/लंबे समय से अनुपस्थित कार्मिकों को कार्यग्रहण/कार्यमुक्त न करें एवं इस संबंध में तत्काल अधोहस्ताक्षरकर्ता को सूचित करावें। इसी प्रकार राजस्थान स्वैच्छया ग्रामीण शिक्षा सेवा **(R.V.R.E.S)** के कार्मिक यदि शहरी क्षेत्र के विधालय में स्थानान्तरित हो गये है तो उन्हें कार्यमुक्त व कार्यग्रहण न करावें। वर्तमान स्थान से अन्यत्र स्थानान्तरण पर पूर्व में न्यायिक स्थगन प्राप्त कार्मिकों के संबंध में भी तत्काल इस कार्यालय को अवगत करावें।

(नूतन बाला कपिला)
सयुंक्त निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर

क्रमांक :: शिविरा–माध्य/संस्था/निजी–सं.नि./स्थानान्तरण/निर्देश/2019 दिनांक 29.09.19

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

01 विशिष्ट सहायक, कार्यालय राज्यमंत्री(स्वतंत्र प्रभार)राजस्थान सरकार जयपुर ।
02 शासन उप सचिव, शिक्षा(ग्रुप–2)विभाग, राजस्थान सरकार जयपुर
03 सम्बधित संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा
04 सम्बधित मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी
05 संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी(मुख्यालय)माध्यमिक शिक्षा
06 संबंधित मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी
07 अनुभाग अधिकारी, संस्थापन–एबी/संस्थापन–सी– /संस्थापन–एफ/सामान्य प्रशासन अनुभाग
08 सिस्टम एनालिस्ट, कम्पयूटर अनुभाग
09 संबंधित संस्था प्रधान/संबंधित कार्मिक
10 रक्षित पत्रावली/निजी पंजिका हेतु।

सयुंक्त निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर

Scanned with CamScanner